



2026:AHC:48194

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या-5166 सन् 2026

विजेंदर पाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरविंद कुमार भारद्वाज

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को आदेश से असंतुष्टि हो, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत मामला संख्या 00895/2024 दर्ज करके कार्यवाही शुरू की, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3-उप मंडल मजिस्ट्रेट, गुन्नौर, जिला संभल द्वारा 22.08.2024 को उसके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन के लिए याचिकाकर्ता ने समय-समय पर राजस्व अधिकारियों को विभिन्न पत्र लिखे।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जिला संभल के थाना धनारी के थानाध्यक्ष द्वारा दिनांकित 28.09.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा जताया, जिसमें विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि दिनांकित 28.09.2025 के पत्र के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा आज तक राजस्व टीम का गठन नहीं किया गया है।

2

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या मामले की जांच करेगा और राजस्व टीम का गठन करके उचित आदेश पारित करेगा।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर दिनांकित 22.08.2024 को पारित आदेश का अक्षरशः और भावना सहित पालन करे।

10 मार्च, 2026

(माननीय प्रकाश पाडिया)

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"